

28-12-17

राज्य द्वारा एडीपीओ

अभियुक्त अनिल जाटव अनु०। प्रकरण अभि० की उप० हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियुक्त की उप० हेतु जारी गिरफ्तारी वारंट तामील/अदम तामील बापस प्राप्त नहीं। अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ता तामीलकुनिंदा कथन प्रस्तुति लेख किये जाने पर भी उप० नहीं हुआ है।

प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना है जिसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं है। कई बार आदेशिका भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः द०प्र०सं० की धारा 299 के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियोजन के द्वारा अभियुक्त की अनुपस्थिति में अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त **अनिल पुत्र हाकिम सिंह जाटव आयु 35 वर्ष निवासी प्रेमनगर-मौजीपुरा थाना गोरमी जिला मिण्ड** को स्थायी गिरफ्तारी वारंट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ ही गिरफ्तारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रजिस्टर में कर पावती ली जाये। अभियुक्त के गिरफ्तारी वारंट के साथ थाना प्रभारी का ज्ञापन सहित भेजा जाये कि स्थाई वारंट को रोजनामचा सान्हा की सत्यापित प्रतिलिपि मय प्रतिवेदन न्यायालय भेजा जावे।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त फरार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

प्रकरण अभिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु भेजा जाये।

[Handwritten signature]